

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2026 — माघ 24, शक 1947

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2026

शुद्धिपत्र

क्रमांक 118/सी.एस.ई.आर.सी./2026.— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.11.2021 के माध्यम से अधिसूचित विनियम, “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021, के हिन्दी संस्करण में मुद्राणात्मक त्रुटि संज्ञान में आई है। अतः उक्त विनियम में निम्नलिखित शुद्धि किया जाता है—

उक्त विनियम के हिन्दी संस्करण में मुद्राणात्मक त्रुटिवश “कंडिका 26.5” जुड़ गई है। एतद् द्वारा, विनियम के हिन्दी संस्करण में “कंडिका 26.5” को विलोपित किया जाता है।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./—

(मथुरा प्रसाद पटेल)
उप-सचिव.